



BY SPEED POST

MNG-01/Admn/RTI-Corres/05-11/350

September 6, 2019

To
Shri Mantosh Kumar
Block 1, Room No.203
Mohan Road, Lucknow
Uttar Pradesh – 226017.
Mobile: 9012578768

Sub:- Information under RTI Act, 2005 – Information sought - Reg.

Ref:- Online RTI application registration No. NIAEM/R/2019/80007, dt.22/08/2019, transferred from DAC&FW through RTI-MIS with reference No: DOA&C/R/2019/01537, dt.22/08/2019 – Reg.

Sir,

This is with reference to your RTI application cited above, requested MANAGE to provide information under RTI Act, 2005. The information sought is attached as **ANNEXURE** for your information.

If the applicant is not satisfied with the information, you may file an appeal to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply of CPIO. The name, designation and complete address of the First Appellate Authority of this Institute is as under:-

Smt. V. Usha Rani, IAS

Director General

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE),
Rajendranagar, HYDERABAD – 500 030 (TS)

Ph: 040-24015253 (O), Fax: 040-24015388

Email: dgmanage@manage.gov.in

Yours sincerely,

(Handwritten signature)

Central Public Information Officer (CPIO) 6/9/19

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. टी.एस. भारत)

NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT (MANAGE)

(An organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)

Rajendranagar, Hyderabad - 500 030. T.S. INDIA

Telephone : +91 (040) 24594509, Grams : MANAGE

Fax : +91 (040) 24015388; Web : manage.gov.in

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के संदर्भ में

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों को भरने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की संपूर्ण सूची अभ्यर्थियों के नाम, दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत, पदनाम व विभाग के साथ प्रदान करें।	कोई नहीं
2.	वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत भरे गए कुल पदों में पूर्ण दृष्टिदिव्यांग व अल्प दृष्टिदिव्यांग अभ्यर्थियों का नाम उनके दृष्टिदिव्यांगता का प्रतिशत पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित संपूर्ण विवरण सभी अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ प्रदान करें।	कोई नहीं
3.	वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की संपूर्ण सूची अभ्यर्थियों के नाम, दिव्यांगता का प्रकार, एवं प्रतिशत, पदनाम व विभाग के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रदान करें।	कोई नहीं
4.	वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए कुल पदों की पूर्ण दृष्टिदिव्यांग व अल्प दृष्टिदिव्यांग अभ्यर्थियों का नाम, उनके दृष्टिदिव्यांग का प्रतिशत, पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित सम्पूर्ण विवरण सभी अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रदान करें।	कोई नहीं
5.	भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में दिव्यांगजनों की एकल पहचान हेतु स्वालम्बन कार्ड (यूडीआईडी) की व्यवस्था आरंभ की गयी, इस संदर्भ में वर्तमान तिथि तक प्रत्येक राज्यवार जारी किये गए स्वालम्बन कार्ड (यूडीआईडी) की संपूर्ण सूची प्रदान करें।	लागू नहीं
6.	भारत सरकार द्वारा स्वालम्बन कार्ड (UDID) को पूरे देश में एक समान रूप से मान्य बनाने के उद्देश्य से वर्तमान तिथि तक की गयी संपूर्ण कार्यवाही संबंधी संपूर्ण दस्तावेज प्रदान करें।	लागू नहीं
7.	भारत सरकार द्वारा सन 2008 में दिव्यांगजनों हेतु सामान अवसर व संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी संधि पत्र (UNCRPD) को हस्ताक्षरित व अनुमोदित किया गया जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपरोक्त संधिपत्र को अनुमोदित करने वाला प्रत्येक राष्ट्र 3 वर्ष के अंतराल पर संयुक्त राष्ट्र आम संभा द्वारा उपरोक्त विषयक गठित आर.पी.डी. समिति के समक्ष अपनी प्रगति आख्या प्रस्तुत करेगा। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर.पी.डी. समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रगति आख्या की प्रतिलिपि प्रदान करें।	लागू नहीं

सूचना



8.	भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक कौशल विकास योजना के अंतर्गत दृष्टिदिव्यांगजनों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी ऐसे सभी केंद्रों का नाम, प्रत्येक वर्ष के अनुसार प्रत्येक केंद्र को उपलब्ध कराई गयी राशि, प्रत्येक केन्द्रवार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण उनके दृष्टिदिव्यांगता प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ प्रदान करें।	लागू नहीं
9.	भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु यातायात सुगम्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी कार्यवाही संबंधी संपूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करें।	लागू नहीं
10.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान तिथि तक दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से प्रदान किये गए ऋण सुविधा संबंधी दस्तावेज जिसमें कि लाभार्थी का नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र व विकलांगता का विवरण शामिल हो, की छायाप्रति प्रदान करें।	लागू नहीं
11.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान समय में दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा उसका लाभ प्राप्त करने संबंधी नियमावली की प्रतिलिपि प्रदान करें।	लागू नहीं
12.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को नेशनल फंड व ट्रस्ट फंड के माध्यम से छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। इस संदर्भ में सूचना प्रदान करें कि उपरोक्त योजना को समाप्त करने के पिछे क्या कारण था, साथ ही योजना को समाप्त करते समय ऐसे छात्र जिनकी गत वर्ष व वर्तमान वर्ष की छात्रवृत्ति आवेदन करने के पश्चात भी नहीं प्राप्त की जा सकी ऐसे छात्रों का संपूर्ण विवरण कारण सहित प्रदान करें।	लागू नहीं
13.	दिनांक 8 फरवरी 2019 को विभाग की सचिव महोदया की अध्यक्षता में भारतीय दृष्टिबाधित संयुक्त संघ के प्रतिनिधिमंडल व संबंधित पदाधिकारियों की सामूहिक बैठक संपन्न कराई गयी जिसके कार्यवृत्त भी तैयार कराये गए थे। इस संदर्भ में उपरोक्त कार्यवृत्त के आधार पर मंत्रालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की संपूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त आख्या जो कार्यवृत्त के आधार पर मांगी गयी थी, की छायाप्रति प्रदान करें।	लागू नहीं
14.	वर्तमान समय तक भारत सरकार द्वारा दृष्टिदिव्यांगजनों हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तक तैयार करने के उद्देश्य से लगाए गए सभी ब्रेल प्रेसों का विवरण, संबंधित संस्थान का नाम ब्रेल प्रेस हेतु प्रदान की गयी राशि व स्थापित ब्रेल प्रेस के पते सहित प्रदान करें।	लागू नहीं
15.	कृपया सूचना प्रदान करें कि दृष्टिदिव्यांगजनों हेतु पदों को चिन्हांकित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय तक कुल कितनी समितियां गठित की जा चुकी हैं। प्रत्येक समिति का संपूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ अंतिम चिन्हांकित पदों की प्रतिलिपि प्रदान करें।	लागू नहीं



9/1/19
6/9/19